धारा-119. प्रमुक्ति- कोई वाद, अभियोजना या अन्य विधिक, कार्यवाही उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम,1964 के अधीन नियुक्त न्यासी, निबन्धक या उसके अधीनस्थ या उसके प्राधिकार से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति, परिसमापक, मध्यस्थ मण्डल, न्यायाधिकरण या उसके किसी सदस्य के विरूद्ध किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में नही की जा सकती जो सदभावना से इस अधिनियम के अधीन किया गया हो या किया गया संभावित हो।